**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 3115

उत्‍तर देने की तारीख: 22.03.2018

**भारत में अध्ययन नीति**

**3115. श्री देरेक ओब्राईनः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार की प्रस्तावित भारत में अध्ययन संबंधी नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की इस नीति के तहत विदेशी छात्रों को शुल्क माफी प्रदान करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय छात्रों, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ने की मंशा रखते हैं, को आर्थिक सहायता प्रदान करने के बजाए विदेशी छात्रों पर अधिक महत्व देते हुए उनका चयन किए जाने के क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अन्‍य बातों के साथ-साथ, निम्‍नलिखित उद्देश्‍यों के साथ, ‘भारत में अध्‍ययन’ नामक कार्यक्रम को अनुमोदित किया है:

i. पड़ोसी देशों पर फोकस करने के साथ भारत की सॉफ्ट पावर में सुधार करना और इसे कूटनीति में साधन के रूप में प्रयोग करना।

ii. भारत में आने वाले अन्‍तर्राष्‍ट्रीय विद्यार्थियों की संख्‍या में वृद्धि करना।

iii. वैश्‍विक शिक्षा निर्यात में भारत के बाजार अंश को 01 प्रतिशत से बढ़ाकर 02 प्रतिशत अर्थात दुगना करना।

iv. प्रत्‍यक्ष व्‍यय, अप्रत्‍यक्ष व्‍यय, पिछले जमा प्रभाव के रूप में अन्‍तर्राष्‍ट्रीय विद्या‍र्थियों के योगदान में वृद्धि करना।

v. उच्‍चतर शिक्षा की समग्र गुणवत्‍ता में सुधार।

vi. शैक्षिक लक्ष्‍य के रूप में भारत की वैश्‍विक रैकिंग में वृद्धि।

vii. अन्‍तर्राष्‍ट्रीय विद्यार्थियों की संख्‍या में निर्यात-आयात असंतुलन को कम करना।

viii. अन्‍तर्राष्‍ट्रीय विद्यार्थियों के भारतीय वैश्‍विक बाजार की वृद्धि।

(ख): इस नीति में मेधावी विदेशी छात्रों के लिए प्रस्‍तावित शुल्‍क में छूट का निर्णय संबंधित संस्‍थान द्वारा निम्‍नलिखित मापदंड़ों के आधार पर लिया जाएगा:

i. केवल शीर्ष 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में 100 प्रतिशत छूट।

ii. केवल अगले 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में 50 प्रतिशत छूट।

iii. केवल अगले 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में 25 प्रतिशत छूट।

iv. शेष 25 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन फीस में कोई छूट नहीं।

संबंधित संस्‍थान द्वारा क्रॉस-सब्‍सीडाईजेशन या इसके वर्तमान निधियन के आधार पर शुल्‍क में छूट पर किये जाने वाला व्‍यय वहन किया जाएगा। इसके लिए सरकार द्वारा कोई अतिरिक्‍त नगद प्रवाह प्रस्‍तावित नहीं है।

(ग): ‘भारत में अध्‍ययन’ कार्यक्रम का मुख्‍य उद्देश्‍य आकर्षक शिक्षा स्‍थान के रूप में भारत की ब्रांडिग करके विदेशी विद्यार्थियों को साधना है। वर्तमान सरकारी कार्यढांचे के अनुसार, विदेशी विद्यार्थियों के लिए 10-15 प्रतिशत अधिसंख्‍यक सीट का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार ‘भारत में अध्‍ययन’ कार्यक्रम दाखिल किए गए विदेशी विद्यार्थियों को साधेगा, जिसका भारतीय विद्यार्थियों की सीट/प्रवेश की संख्‍या पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**\*\*\*\*\***